सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

वृहस्पतिवार, तिथि 03 चैत्र, 1944 (श०) / 24 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	निर्वाचन विभाग	01
(2)	वित्त विभाग	01
(3)	गृह विभाग	03
(4)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	01
	कुल योग --	06

बहाल करना

93. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के माध्यम से सामान्य प्रशासन, गृह विभाग सहित सभी विभागों में विभिन्न पद पर कई कर्मी कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन के पत्रांक 4565/2021, दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के माध्यम से सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को पत्र के द्वारा विभिन्न विभाग में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों के मृत्यु होने के पश्चात् आश्रितों को अनुकम्पा पर प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विभागों के कार्यरत विभिन्न पद पर कर्मियों के मृत्यु होने के दौरान उनके आश्रित को अनुकम्पा पर बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

94. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गृह विभाग के विज्ञापन संख्या 01/2010, दिनांक 3 अगस्त, 2010 को अनुबंध के आधार पर 610 रिक्त चालक पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था एवं विज्ञापन के उपरान्त चयन प्रक्रिया के बाद 399 अभ्यर्थियों का चयन कर 11 वर्षों तक राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित कर सेवा लेने के बाद विभागीय आदेश संख्या पी0-04/01-14-21, दिनांक 15 जून, 2021 को निर्गत कर दिनांक 31 जुलाई, 2021 को अनुबंध खत्म कर चालकों को सेवा मुक्त करने का औचित्य क्या है ?

आवास किराया भत्ता बढ़ाना

95. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प ज्ञाप संख्या 3पी0ए0आर0-01/98/32/वि0(2), दिनांक 2 जनवरी, 1998 द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 से राज्य में हू-ब-हू केन्द्रीय वेतनमान लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई राहत (डी0ए0) 25 प्रतिशत से अधिक होने के उपरान्त आवास किराया भत्ता क्रमशः 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत देय है जबकि राज्य में 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत ही दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त संकल्प का अनुपालन करते हुये केन्द्र के समरूप राज्यकर्मियों को भी आवास किराया भत्ता क्रमशः 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत देने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 से राज्यकर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति वेतन एवं भत्ते अपने संसाधन को दृष्टिपथ में रखते हुये अनुमान्य किया गया है ।

(2) अस्वीकारात्मक । केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग के द्वारा X, Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिये मकान किराया भत्ता की दर क्रमशः 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत किये जाने तथा महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा है । राज्य वेतन आयोग द्वारा राज्यकर्मियों को Y, Z अवर्गीकृत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मकान किराया भत्ता की दर क्रमशः 16 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 6 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा की गई है । बिहार भवन, नई दिल्ली के कर्मियों के लिये मकान किराया भत्ता की दर 24 प्रतिशत अनुमान्य है ।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यकर्मियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा रहा है ।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

चुनावी प्रक्रिया शुरू कराना

96. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शहरी निकायों तथा नगर निगमों के मेयर एवं डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद्/नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद एवं उप-मुख्य पार्षद का आम जनता द्वारा सीधा निर्वाचन का अध्यादेश सरकार द्वारा जनवरी, 2022 में जारी किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 19 नगर निगम एवं 89 नगर परिषदों तथा 155 में से 93 का कार्यकाल 1 वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कार्यकाल पूर्ण एवं नवगठित राज्य के शहरी निकायों में कबतक चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियमावली गठित करना

97. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी कम्पनी में पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन में सहयोग हेतु बिहार पुलिस परिचारी संवर्ग गठित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस परिचारी संवर्ग का संवर्ग नियमावली गठित नहीं होने से इनके कर्तव्यों के निर्वहन तथा सेवा शर्तों के निर्धारण में कठिनाइयाँ होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवर्ग हित में बिहार पुलिस परिचारी संवर्ग नियमावली बनाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहाली करना

98. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 अक्टूबर, 2022 में छपी खबर के शीर्षक ''पाँच वर्षों में सुधार पुलिस पब्लिक अनुपात'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले पाँच वर्षों में 20 हजार पुलिसकर्मियों की बहाली के बाद राज्य में प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिस बल की संख्या लगभग 80 ही है जबकि राष्ट्रीय औसत 155 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार पुलिस की स्वीकृत बल संख्या 1 लाख 10 हजार है जिसमें से 90 हजार ही कार्यरत हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रति 1 लाख पर पुलिस बलों के राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त पुलिस बलों के पदों को स्वीकृत कर बहाली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 120(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550